भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 625**

**08 फरवरी, 2019 को उत्तरार्थ**

**विषय: गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का उपयोग**

**625. डा॰ विकास महात्मेः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) गत तीन वर्षों में गैर कृषि प्रयोजनों के लिए कितने हेक्टेयर कृषि भूमि उपयोग में लायी गयी;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इसके लिए कौन-कौन से घटक जिम्मेदार हैं और क्या कृषि भूमि का उपयोग समुचित प्रयोजन के लिए सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री**

**(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) और (ख): संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 (राज्‍य सूची) की प्रविष्‍टी संख्‍या 18 के उपबंध के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन राज्यो के विशिष्‍ट विधायी और प्रशासनिक कार्यक्षेत्र के तहत आता है। कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिर्वतन संबंधित राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, भू-उपयोग सांख्‍यिकी 2014-15 (नवीनतम उपलब्‍ध) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए ‘कृष्‍य/कृषि भूमि’ का राज्‍यवार ब्‍यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): कृषि भूमि की प्रतिशतता में कमी मुख्‍यत: शहरीकरण, सड़कों, उद्योगों, आवासों आदि जैसे गैर कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के अंतरण के कारण हुआ है। जहां कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग हुआ है, वहीं गैर कृषि भूमि को भी कृषि उपयोग के तहत लाया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्‍य सरकारों के कार्यक्षेत्र के तहत आती है और, इसलिए, कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिर्वतन रोकने के लिए उपयुक्‍त कदम उठाना उनका कार्य है। तथापि, भारत सरकार उपयुक्‍त नीति उपायों और बजटीय समर्थन के माध्‍यम से राज्‍यों के प्रयासों में सहायता करती है।

देश में खेती योग्‍य क्षेत्र में कमी को रोकने के लिए, राष्ट्रीय कृषक नीति-2007 (एनपीएफ-2007) के अंतर्गत, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे औद्योगिक तथा निर्माण क्रियाकलापों सहित, गैर कृषि विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए गैर कृषि योग्य भूमि, क्षारीय, अम्लीय आदि भूमि जैसी कम जैविकीय क्षमता वाली भूमि को निर्धारित करें। राष्ट्रीय पुनर्वास और बंदोबस्‍त नीति-2007 (एनआरआरपी-2007) में भी सिफारिश की गई है कि जहां तक संभव हो परियोजनाओं की स्था‍पना बंजर भूमि, गैर उन्नत भूमि अथवा गैर सिंचाईकृत भूमि पर की जाए और गैर कृषि उपयोगों के लिए सिंचित, बहुफसलीकृत कृषि भूमि के अधिग्रहण को न्यूनतम रखा जाए तथा जहां तक संभव हो, इसे टाला जाए। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्षा सिंचित/गैर उन्नत क्षेत्रों के विकास के लिए एक एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्‍ल्‍यू एमपी) क्रियान्वित कर रहा है। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड घटक के रूप में संपरिवर्तित किया गया है।

भारत सरकार पूरे देश में भू-क्षरण, भू-अपकर्षण की रोक-थाम करने तथा विभिन्न प्रकार के भू उपयोगों में संतुलन बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) को भी क्रियान्वित कर रही है। इस मिशन के तहत, बेकार भूमि/बंजर भूमि सहित सभी प्रकार की भूमि को उपयुक्त आवश्यकता आधारित मिट्टी तथा जल संरक्षण उपायों के साथ विकसित किया गया है तथा विकसित की गई ऐसी गैर-उन्नत भूमि के हिस्से को कृषि व्यवसायों के लिए उपयोग किया गया है जिसके परिणामस्वरूप विगत दो दशकों में निवल बुआई क्षेत्र 141 मिलियन हैक्टेयर के आस पास रहा है।

|  |
| --- |
| **अनुबंध****दिनांक 08.02.2019 को उत्‍तर के लिए राज्‍यसभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 625 के भाग (क) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुबंध**2012-13 से 2014-15 के लिए देश में कृष्‍य/कृषि योग्‍य भूमि का राज्‍यवार ब्‍यौरा (नवीनतम उपलब्‍ध)(हजार हैक्‍टेयर) |
| **राज्‍य/संघ शासित प्रदेश** | **कृष्‍य भूमि/ कृषि भूमि** |
| **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** |
| आन्‍ध्र प्रदेश | 15930 | 8879 | 9047 |
| अरूणाचल प्रदेश | 424 | 424 | 423 |
| असम | 3356 | 3357 | 3364 |
| बिहार | 6582 | 6578 | 6579 |
| छत्‍तीसगढ़ | 5552 | 5550 | 5558 |
| गोवा | 197 | 197 | 197 |
| गुजरात | 12661 | 12661 | 12661 |
| हरियाणा | 3664 | 3645 | 3656 |
| हिमाचल प्रदेश | 812 | 812 | 812 |
| जम्‍मू और कश्‍मीर | 1070 | 1070 | 1075 |
| झारखण्‍ड | 4336 | 4343 | 4343 |
| कर्नाटक | 12846 | 12840 | 12827 |
| केरल | 2280 | 2279 | 2266 |
| मध्‍य प्रदेश | 17264 | 17267 | 17252 |
| महाराष्‍ट्र | 21129 | 21127 | 21099 |
| मणिपुर | 316 | 384 | 390 |
| मेघालय | 1056 | 1056 | 1056 |
| मिजोरम | 408 | 402 | 367 |
| नागालैण्‍ड | 694 | 693 | 694 |
| ओड़ीशा | 6743 | 6797 | 6784 |
| पंजाब | 4286 | 4219 | 4285 |
| राजस्‍थान | 25548 | 25542 | 25511 |
| सिक्‍किम | 97 | 97 | 97 |
| तमिलनाडु | 8126 | 8120 | 8112 |
| तेलंगाना | राज्‍य का गठन जून 2014 में हुआ है। | 6929 | 6877 |
| त्रिुपरा | 274 | 273 | 272 |
| उत्‍तराखण्‍ड | 1547 | 1550 | 1549 |
| उत्‍तर प्रदेश | 19075 | 18955 | 18939 |
| पश्‍चिम बंगाल | 5673 | 5662 | 5655 |
| अण्‍डमान एवं निकोबार द्वीप | 28 | 28 | 28 |
| चण्‍डीगढ़ | 1 | 1 | 1 |
| दादरा नगर हवेली | 24 | 24 | 24 |
| दमन एवं दीव | 3 | 3 | 3 |
| दिल्‍ली | 53 | 53 | 53 |
| लक्षद्वीप | 2 | 2 | 2 |
| पुदुचैरी | 30 | 30 | 29 |
| **अखिल भारत** | **182085** | **181850** | **181886** |
| स्रोत: अर्थ एवं सांख्‍यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्‍याण मंत्रालय  |

\*\*\*\*\*